C:\RAMSHARN\ARJOM\...doc\ 110

प्रतिलिपि पत्र संख्या-2063/सत्तर-6-2008-2(266)/2005 दिनांक 27 अगस्त, 2008 द्वारा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

विषयः-महाविद्यालय संचालन हेतु अनापत्ति में संशोधन एवं सम्बद्धता की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब./1480/2007 दिनांक 03.06.2008 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रस्तावित गंगा डिग्री कालेज, रामनगर, सोरांव, इलाहाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं प्राचीन इतिहास विषयों में शासनादेश संख्या-2793/सत्तर-6-2005-2(266)/2005, दिनांक 13 जुलाई, 2005 द्वारा महाविद्यालय को अनापत्ति प्रदान की गयी थी, जिसमें प्रस्तर-1(7) को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"उक्त पाठ्यक्रम का संचालन ग्राम-रामनगर उमरी, परगना-नबावगंज, तहसील-सोरांव के गाटा संख्या-740ख, 741ख, 742ख, 743ख में तथा ग्राम अब्दालपुर खास, परगना व तहसील-सोरांव, जनपद-इलाहाबाद के गाटा संख्या-1279, 1281 में कुल रकबा-2.5849 है0 भूमि पर निर्मित भवन में किया जायेगा । अन्य भू-खण्ड या स्थान पर संचालित किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी ।

2. शासनादेश दिनांक 13 जुलाई,2005 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है । अन्य शर्तें एवं प्राविधान यथावत् लागू रहेगें ।

3. उक्त के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1973(यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल गंगा डिग्री कालेज, रामनगर, सोरांव, इलाहाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं प्राचीन इतिहास विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक <u>01.07.2008 से</u> सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

<u>छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर</u>

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 2485 /2008 दिनांक 13/10/08

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, गंगा डिग्री कालेज, रामनगर, सोरांव, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार यह भी सूचित करना है कि प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, नियुक्ति पत्र, ज्वानिंग पत्र एवं अनुबन्ध पत्र(छायाचित्र सहित) तथा प्रबन्धक का शपथ पत्र (छायाचित्र सहित) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना और महामहिम कुलाधिपति महोदय के सम्बद्धता पत्र में इंगित शर्तो की पूर्ति/निरन्तरता बनाये रखना सुनिश्चित कराया जाए ।
2. सहायक कुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
3. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव

Ganga Degree College
... Authorised Signatory

प्रबन्धक
गंगा डिग्री कालेज
रामनगर, सोरांव, इलाहा...